आदेश	कार्यवाही विवरण	अनुपालना के क्रमांक व दिनांक
11.4.19	प्रकरण पेश हुआ। वकील आवेदक द्वारा प्रा० प्र० अस्थाई निषेधाज्ञा पर नोटिस दिया गया। अतः प्रकरण आगे नहीं चलाने के कारण प्रा० प्र० इसी स्तर से खारिज किया जाता है। प्रकरण के गुण दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की तथा वाद खारिज किया जाता है। दिनांक 11.4.19 को मुझे न्यायालय सुनाया गया उपखण्ड अधिकारी	Not Press

Scanned by CamScanner